न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 66 **दायर दिनांक : 23.04.2018**

1. कमला देवी पत्नि श्री रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादीया

बनाम

1. चेतराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजेश पुत्र श्री चेतराम जाति जाट निवासी चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. सुमन पुत्री श्री चेतराम जाति जाट निवासी चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. मन्जू बंसल पत्नी श्री संदीप कुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न. 10 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थितः

1. श्री सुरेन्द्र सुथार, अभिभाषक वादीया
2. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 3 व 4
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय **दिनांक : 23.01.2020**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है वादीया द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 आर.टी.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 28 पी.बी.एन.ए. के खाता सं. 9/9 के प.न. 30/346 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 19, 22 ता 25 में 4.301 है. नहरी मय खाला व प.न. 30/347 के कि.न. 4/0.253 है., कि.न. 5/0.240 हे., 6/0.076 है. 7/1/0.076 है., 8/1/0.013 है. कुल 0.658 है. इस प्रकार कुल 4.959 है. नहरी मय खाला रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें वादी का 0.971 है. रकबा व प्रतिवादी स. 1 का 0.992 है. प्रतिवादी सं. 2 का 0.992 है. रकबा व प्रतिवादी सं. 3 का 0.992 है. व प्रतिवादी सं. 4 का 1.012 है. रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो कि जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 से साबित है। वादीया द्वारा उग्रसेन, विजय सिंह पुत्रगण चेतराम से रकबा खरीद शुदा है जिस पर वादीया का कब्जा चला आ रहा है, वादीया अपने कब्जानुसार खाता विभाजन चाहती है। प्रतिवादीगण व सहखातेदारों के मन में बदयान्ति आ गई है वादीया को कब्जा से बेदखल करने को उतारू है इसलिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण जारी की जावे, अमर का वाद पत्र पेश किया। प्रकरण दर्ज किये जाने के पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 06.07.18 को प्रतिवादी सं. 3 व 4

लगातार 2 पर.....

की ओर से अशोक कुमार छाबड़ा एडवोकेट उपस्थित आये, प्रतिवादी सं. 6 को बावजूद सूचना नहीं आने पर इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 19.07.2018 को वकील प्रतिवादी सं. 3, 4 की ओर से प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादीया द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मृत्यु उपरान्त वाद पत्र पेश किया है जो कि नाकाबिल चलने के है। दिनांक 13.08.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब बंद कर दिया गया व पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30.08.2018 को रखी गई। दिनांक 30.08.2018 वकील वादीया द्वारा जवाब खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार करते हुये वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 24.12.2019 को प्रस्तुत किया व उसी दिन दिनांक 24.12.2019 को प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कि प्रतिवादी न. 1 व 2 चेतराम पुत्र श्री जेठाराम व राजेश पुत्र श्री चेतराम जो कि वाद पत्र में प्रतिवादीगण के रूप में अंकित है उक्त दोनों का देहान्त हो चुका है मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि वाद कारण के अभाव में वाद पत्र चलने योग्य नहीं है अलावा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश या डिक्री पारित नहीं की जा सकती। उक्त मृतक व्यक्तियों की सूचना वादिया को स्वयं भी है अलावा तामील कुन्निदा द्वारा भा बरवक्त तामील नोटिस रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त दोनों व्यक्तियों का देहान्त हो चुका है। इसलिये वाद पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जावें। बहस के समर्थन में प्रार्थी द्वारा आर.बी.जे. 2016 पेज 625 जगदीश बनाम नत्थू सिंह व आर.एल.टी. 2012(2) पेज 1267 प्रस्तुत की। अभिभाषक अप्रार्थी वादीया द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में निवेदन किया की राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदार कृषक को ही वाद पत्र व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. में पक्षकार बनाया गया है जो कि वर्तमान जमाबंदी में अंकित है मुझ प्रार्थीया को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मृत्यु की कोई सूचना नहीं थी। नोटिस तामील होने के पश्चात ज्ञान हुआ की प्रतिवादी न. 1 व 2 फौत हो चुके है ज्ञात होते ही संशोधित शीर्षक व वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त करते हुये पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया व वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय का पूर्ण सम्मान व एकाग्रचित्त से अध्ययन व मनन किया जिसमें पाया कि वादीया द्वारा जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रतिवादी न. 1 चेतराम व प्रतिवादी न. 2 राजेश अंकित है प्रतिवादीगण को नोटिस से तलब किया गया तो तामील कुन्निदा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया की चेतराम पुत्र श्री जेठाराम खुद फौत हो चुका है तथा सायल के लड़के को नोटिस की प्रति दी गई है इसी तरह राजेश पुत्र श्री चेतराम के नोटिस पर भी तामील कुन्निदा द्वारा नोटिस की पुश्त पर रिपोर्ट की

लगातार 3 पर....

है कि सायल खुद फौत हो चुका है नोटिस की प्रति उसके भाई विजय को दी गई। इसके अलावा वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है स्वयं अप्रार्थी वादीया जो कि स्वयं चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ की निवासी है व प्रतिवादी न. 1 व 2 भी चक 28 पी.बी.एन. के निवासी है की मृत्यु की सूचना वादीया को ना हो ऐसा नहीं माना जा सकता अलावा अप्रार्थीया द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भी उक्त दोनों प्रतिवादीयों की मृत्यु होना स्वीकार किया है खण्डन नहीं किया है, इस प्रकार से यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्रतिवादी न. 1 व 2 की मृत्यु वाद पत्र दायर होने से पूर्व ही हो चुकी थी, मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद कारण पैदा नहीं होता व ना ही उनके विरूद्ध आदेश/डिक्री पारित की जा सकती है। इस प्रकरण में प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत निर्णय दृष्टांत पूर्णतया लागू होते है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीया प्रथम दृष्टया नाकाबिल चलने के है, इस कारण से वाद पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है, पर्चा डिक्री जारी हो हुक्म सुनाया गया, पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

कमला देवी पत्नि श्री रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादीया

बनाम

1. चेतराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजेश पुत्र श्री चेतराम जाति जाट निवासी चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. सुमन पुत्री श्री चेतराम जाति जाट निवासी चक 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. मन्जू बंसल पत्नी श्री संदीप कुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न. 10 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राज.) सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 66 वर्ष 2018 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादीया श्री सुरेन्द्र सुथार व वकील प्रतिवादीगण श्री अशोक कुमार छाबड़ा अभिभाषक प्रतिवादी सं. 3 व 4 व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीया निरस्त किया जाता है खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23.01.20 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.28 17:46:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: